



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 327]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 17, 2011/ज्येष्ठ 27, 1933

No. 327]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 2011/JYAISTHA 27, 1933

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2011

सा.का.नि. 467(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, अधिसूचना की तारीख से दिनांक 31-3-2012 तक श्री राना के. विसारिया, उपाध्यक्ष, कांडला पत्तन कर्मचारी संघ को कांडला पत्तन में तैनात श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्रमिक न्यासी के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. पी टी-18011/10/2009-पी टी]

राकेश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2011

G.S.R. 467(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri Rana K. Visaria, Vice President Kandla Port Karamachari Sangh, as Labour Trustee representing Labour employed in the Port of Kandla with effect from the date of notification till 31-3-2012.

[F. No. PT-18011/10/2009-PT]

RAKESH SRIVASTAVA, Jt. Secy.